(95)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस 0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2959-तीन/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 08-05-2013 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला रीवा - प्रकरण कमांक 152 अ-12/2009-10 निगरानी

1- श्रीमती रामवती पत्नि गजराज चमार
2- गजराज पुत्र खेलाड़ी चमार
निवासीगण पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा --- आवेदकगण

विरूद्ध

1- रामबहार पुत्र गुलाब राम ब्राहमण
ग्राम पहाड़ी तहसील हनुमना जिला रीवा
2- मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एम0पी0पटैल)
(अना.क.1 सूचना उपरांत अनुपस्थित -एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 07-6-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्र0क0 152 अ-12/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक कमांक-1 ने तहसीलदार हनुमना के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उसके स्वामित्व की ग्राम पहाड़ी स्थित भूमि सर्वे कमांक 1049/19, 1049/1 क, 1050/10, 1047/1क 2 के सीमांकन की मांग की। तहसीलदार हनुमना ने प्रकरण कमांक 39 अ-12/2008-09 पंजीबद्ध किया तथा पटवारी हलका नंबर 4 ग्राम पहाड़ी से सीमांकन प्रतिवेदन मॅगाया। पटवारी हलका नंबर 4 ग्राम पहाड़ी ने दिनांक 19-6-07 को सीमांकन करके दिनांक 24-7-09 को सीमांकन प्रतिवेदन

प्रस्तुत किया, जिस पर से तहसीलदार हनुमना ने आदेश दिनॉक 31-8-2009 पारित किया एंव सीमांकन को अंतिमता प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने अपर कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 152 अ-12/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक 1 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि तहसीलदार हनुमना के प्रकरण कमांक 39 अ-12/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 31-8-09 के विरूद्व अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष दो निगरानी प्रस्तुत की गई थी जो प्रकरण कमांक 152 अ-12/09-10 एंव प्रकरण कमांक 153 अ-12/09-10 पर पॅजीबद्व हुई थी। अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 153 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 से निगरानी स्वीकार करते हुये तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-4-10 एंव 26-4-10 निरस्त कर दिये तथा प्रकरण पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित कर दिया, जबकि प्रकरण कमांक 152 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 से इस निगरानी को निरस्त करने में भूल की गई है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 153 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 एंव प्रकरण कमांक 152 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि अपर कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 153 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 23-4-10 एंव 26-4-10 निरस्त करते प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया है जबकि प्रकरण कमांक 152 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 से निगरानी को निरस्त की गई है । दोनों

निगरानी प्रकरणों के अवलोकन से परिलक्षित है कि दोनों निगरानी प्रकरणों के पक्षकार समान हैं तथा दोनों निगरानी प्रकरणों में ग्राम पहाड़ी स्थित भूमि की सीमांकन कार्यवाही हुई है जिसके कारण प्रकरण कमांक 152 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 दूषित श्रेणी का होना पाये जाने से स्थिर नहीं रखा जा सकता।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 152 अ-12/09-10 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-5-13 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार हनुमना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह वादग्रस्त भूमि का सीमांकन अधीक्षक/सहायक अधीक्षक भू अभिलेख से करावें तथा सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर